

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 04 अ-82/17-18/3011

बैतूल दिनांक-24-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	आमला	17.911	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	नांदरा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सोनकूबाई जौ. गबाजी जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/16	1.619	0.589
2	चेतना ना. बा. व. टाटरु वली मां कुद बादरु बाई जौ. टाटरु जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	202/13	0.405	0.405
3	गुनू व. कुन्जीलाल मानिक व. कुन्जीलाल उमेश गणेश व. शेषू कमला बेवा शेषू बाली इन्दिरा मुन्नी पुत्री शेषू जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/4 204/3 206/3 207/2 ख. नं. शा. मे	1.604	1.099
4	नत्थू व. पुनू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00	204/1 206/1 ख. नं. शा. मे	1.746	1.746
5	बादरु जौ. टाटरु गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/9	0.789	0.182
6	कृष्णाराव व. लख्खू जाति कुन्बी पता सा देह भूमि स्वामी	178/4	0.772	0.772
7	अरुण व. मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	178/12	1.214	1.214

8	तरुण मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	178/13	1.214	1.214
9	नर्मदा बेवा मानिकराव तरुण अरुण पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/2	1.304	1.304
10	मनिष व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/3	0.637	0.403
11	महेन्द्र व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/14	0.638	0.360
12	नामदेव व. बापू जाति गौली सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/7	1.000	0.333
13	बुधराव व. लक्खूजी कुन्बी पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी	178/10	2.489	0.803
14	पूर्णाबाई बेवा बाबूराव यशोदा नवसू अनुसैया बनू त्रिर्मला पिता बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	175/3	0.095	0.019
15	निम्बा नामदेव माधोराव व. सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	177/1 176/6 ख. नं. शा. मे	0.607	0.607
16	मन्नू व. निम्बा जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	177/2 ख 176/3 ख ख. नं. शा. मे	0.663	0.663
		175/1 ख 176/1 ख. नं. शा. मे	0.117	0.117
17	नामदेव निम्बा माधोराव व. सायबू चिनकी सकोता पिता सायबू भुरी बे. सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	205	0.231	0.231
18	पुनू व. निम्बा जाति गौली पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी	172/2 177/3 ख.न.शा.मे	0.663	0.663
		176/3 177/5 ख.न.शा.मे	0.644	0.644
19	निम्बा, नामदेव, श्यामराव, माधोराव, सायबू नाबा. वली पिता सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	175/1 176/1 ख.न.शा.मे	0.115	0.043
		176/4 176/2 175/2 ख.न.शा.मे	0.445	0.310
20	काशीबाई जौजे भाना जाति गौली पता सा गोरेगांव भूमि स्वामी	178/15	0.607	0.607
21	सुनिता जौजे रमेश जाति गाडरी सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	204/4	0.405	0.405

22	गुणवन्तराव व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	202/2 204/4 206/4 207/3 ख.न.शा.मे	0.739	0.429
		206/5 202/5 204/5 207/4 ख.न.शा.मे	0.122	0.122
		204/6 206/7 207/5 ख.न.शा.मे	0.631	0.615
23	दीनू देवेन्द्र सुभाष व. गुणवन्तराव जाति गाडरी पता गोरेगांव सा. देह भूमि स्वामी	202/8 204/7 206/8 207/6 ख.न.शा.मे	0.505	0.505
		202/7	0.283	0.283
24	गुनू व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा देह भूमि स्वामी गोरेगांव	202/6	2.186	0.790
25	निम्बा व. सधू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/8	0.121	0.010
26	यशोदा उर्फ यशु पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	175/4	0.100	0.100
		176/5	0.315	0.315
27	जगन्नाथ व. विश्वनाथ जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	202/9 203/2 ख.न.शा.मे	2.000	0.009
कुल योग			25.630	17.911

1- चूंकि नांदरा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,



( शशाक मिश्र ) 21/10  
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 4 अ-82/वर्ष 17-18/3011

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत आमला तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग